राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प॰ 5(9)प्रा.शिक्षा/2017 **जयपुर,दिनांकः** -6 FEB 2018

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः– तृतीय श्रेणी प्रावि एवं उप्रावि सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के नवम्बर, 2016 में पुनः संशोधित परिणाम के कारण समायोजन से बाहर होने वाले शिक्षकों के शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन एवं उनके नियमानुसार स्थाईकरण के निर्णय के संबंध में दिनांक 23.01.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवाही भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण), पंचायती राज विभाग ने अशा टीप एफ 915(7)पंराप्राशि/2016/114 दिनांक 1.2.2018 (संलग्न) द्वारा तृतीय श्रेणी प्रावि एवं उप्रावि सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के नवम्बर, 2016 में पुनः संशोधित परिणाम के कारण समायोजन से बाहर होने वाले शिक्षकों के शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन एवं उनके नियमानुसार स्थाईकरण के निर्णय के संबंध में दिनांक 23.01.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवाही विवरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र एवं कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
–sd–
(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिपिलि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण), पंचायती राज विभाग ने अशा टीप एफ 915(7)पंराप्राशि /2016/114 दिनांक 1.2.2018 के संदर्भ में।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
5. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

शासन उप सचिव

कार्यालय शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर डायरी संख्या 5929 दिनांक 5/2/18

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर प्राप्ति संख्या 896 दिनांक 05.02.18

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज प्रार0शिक्षा)

विषयः– तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 की वरीयता से बाहर होने वाले शिक्षकों के शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन के निर्णय के संबंध में बैठक दिनांक 23.01.2018 को कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के नवम्बर 2016 में पुनः संशोधित परिणाम के कारण वरीयता से बाहर होने वाले शिक्षकों के शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन एवं उनके नियमानुसार स्थाईकरण के निर्णय के संबंध में दिनांक 23.01.2018 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

DSEE
2-2-18

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा

अशा0टीप क्रमांक एफ 915 (7) पंराप्राशि/2016/114
जयपुर दिनांकः–01/2/18

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को बैठक दिनांक 23.01.2018 के कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

5/2/18

www.rajteachers.com

संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

पंचायती राज प्रारम्भिक शिक्षा

क्रमांक एफ 915 (7)पंराप्राशि/2016/76 जयपुर दिनांक 24/1/18

बैठक कार्यवाही विवरण

तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के नवम्बर 2016 में पुनः संशोधित परिणाम के कारण वरीयता से बाहर होने वाले शिक्षकों के सेवा से पृथक्कीकरण अथवा शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन के संबंध में निर्णय हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.01.2018 को 5.00 PM बजे उनके कक्ष में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुएः–

क.सं0	नाम अधिकारी	पद नाम	विभाग
1.	श्री सुदर्शन सेठी	अति0 मुख्य सचिव	ग्राविपंराज विभाग
2.	श्री डी.बी. गुप्ता	अति0 मुख्य सचिव	वित्त विभाग
3.	श्री मनोज कुमार व्यास	प्रमुख शासन सचिव	विधि विभाग
4.	श्री नरेशपाल गंगवार	शासन सचिव	शिक्षा विभाग
5.	श्री नवीन महाजन	शासन सचिव एवं आयुक्त,	पंचायती राज विभाग
6.	श्री सुनील शर्मा	संयुक्त सचिव	कार्मिक विभाग

बैठक के एजेण्डे में सम्मिलित निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिये गयेः–

1. मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी स्पेशल अपील संख्या 690/2017 राज0 राज्य बनाम संदीप विश्नोई व अन्य कनेक्टेड अपीलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 संख्या 5752–53/2008 राजेश कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2013 का उद्धरण लेते हुये संशोधित वरियता से बाहर होने वाले अध्यापकों को सेवा से नही हटाने के निर्देश निर्णय दिनांक 5.9.2017 द्वारा दिये गये हैं। इस प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर लदरेचा द्वारा डीबी स्पेशल अपील संख्या 690/2017 में निर्णय दिनांक 05.09.2017 की पालना करने एवं एस0एल0पी0 दायर नही करने की राय दी गयी है। बैठक में विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एस0एल0पी0 दायर करने का कोई औचित्य नही है। अतः एस0एल0पी0 दायर नही की जाकर निर्णय दिनांक 05.09.2017 की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. पुनः संशोधित परिणाम के कारण पूर्व में नियुक्त एवं कार्यरत वरियता से बाहर होने वाले 6235 शिक्षकों में से 3008 शिक्षकों का समायोजन जिला परिषदों द्वारा विज्ञापित पदों के विरूद्ध रिक्त रहे पदों पर करने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। शेष रहे 3227 शिक्षकों के संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त शिक्षकों का समायोजन शिक्षा विभाग में उपलब्ध रिक्त पदो के विरूद्ध कर लिया जाये तथा उनका नियमानुसार स्थायीकरण किया जाये।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, मान0 शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्राविपंराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
8. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)

www.rajteachers.com